



षोडश बिहार विधान सभा द्वितीय सत्र ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-28.03.2016 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	<p>श्री मौ० नेमतुल्लाह, सं०वि०सं०</p> <p>श्री अखतरुल इस्लाम शाहीन, सं०वि०सं०</p> <p>श्री रमेश सिंह कुशवाहा, सं०वि०सं०</p> <p>श्री फराज फारमी, सं०वि०सं०</p> <p>श्री फौयाज अहमद, सं०वि०सं०</p> <p>श्री शमीम अहमद, सं०वि०सं०</p>	<p>बिहार में रह रही लगभग 5000 तलाकशुदा महिलाओं के जीविका उद्धार हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट में दो करोड़ का प्रावधान करते हुए यह निर्णय लिया गया कि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के माध्यम से प्रत्येक तलाकशुदा महिला को दस हजार रुपये दिया जाएगा।</p> <p>उक्त दो करोड़ रूपया में से दस हजार रूपये की दर से अब तक वर्ष 2014-15 में मात्र 1169 (एक हजार एक सौ उनहत्तर) महिला को ही तलाकशुदा महिला राशि दिया गया है, जबकि वक्फ बोर्ड को लगभग 5,000 आवेदन प्राप्त होने की सूचना है।</p> <p>अतः शेष तलाकशुदा महिलाओं को राशि उपलब्ध कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।</p>	अल्पसंख्यक कल्याण

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री तार किशोर प्रसाद, स०वि०स० श्री सुरामा प्रसाद, स०वि०स० श्री नीरज कुमार सिंह, स०वि०स० श्री राम नारायण मंडल, स०वि०स० श्री बिनाद कुमार सिंह, स०वि०स० श्री लाल चंचू प्र मुत्ता, स०वि०स०	बिहार सरकार ने बिहार सेवा सौहार्दा के निवम-220 में संशोधन कर महिला सरकारी संवकों को दस प्रसव छुट्टी 135 दिनों के बजाय 180 दिन देने का फैसला लिया है, परन्तु इसका लाभ लगभग डेढ़ लाख कार्यरत महिला नियोजित शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा है। पूर्व में 135 दिनों की प्रसव छुट्टी नियमित एवं नियोजित कर्मचारियों के लिए समान था, जबकि सरकार ने नियोजित शिक्षकों को वेतनमान की श्रेणी में शामिल कर लिया है। अतः महिला सशक्तिकरण एवं समानता के आधार पर नियोजित महिला शिक्षकों को भी 180 दिनों का प्रसव छुट्टी देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।	शिक्षा

राजीव कुमार

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-5540/प्र०-16/16- 595 / वि०स०, पटना, दिनांक- 18 मार्च, 2016 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्यमंत्री / उप मुख्यमंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकसुनक्त के उप सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

M/ 18.3.16

(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-5540/प्र०-16/16- 595 / वि०स०, पटना, दिनांक- 18 मार्च, 2016 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के ज्ञाप सचिव एवं प्रशासन महाधिवक्ता, सचिवालय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

M/ 18.3.16

(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

M/ 18.3.16